— (22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 854–एक/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–1999 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/1997–98/अपील

भैरूलाल आत्मज रामाजी यारी
निवासी दड़िया तहसील खाचरोंद
जिला उज्जैन

----- आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला उज्जैन
2. कल्याणसिंह आत्मज समुन्द्रसिंह
   निवासी दड़िया वर्तमान में बिरला ग्राम नागदा
   तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
3. भंवरसिंह आत्मज श्रवरण सिंह राजपूत
   निवासी बिरला ग्राम नागदा
   तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
4. सुनील आत्मज स्व0 भेरूसिंह
5. राजकुमारी पत्नि दिलीप सिंह गूजर
   दोनों निवासी रामसहाय मार्ग नागदा
   जिला उज्जैन

----- अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शास0 पैनल अभिभाषक –प्रत्यर्थी कं 1
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक – प्रत्यर्थी कं 3

:: आदेश ::

(दिनांक २२ जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक भेरूलाल निवासी

ग्राम दडिया परगना खाचरोद ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेख में कूट रचना एवं काट–पीट कर उसका नाम राजस्व अभिलेख से कम कर दिया है। वादग्रस्त संपत्ति पर नाम कम करने के पश्चात भूमि विकय कर दी गई है। पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपराधिक कृत्य किया है अतः संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उसका नाम अंकित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 14–6–96 से आवेदक भेरूलाल का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने बावत आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 3 भंवरसिंह द्वारा कलेक्टर उज्जैन को अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 17–9–1997 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील अमान्य की। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–4–1999 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व अभिलेख में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपीलार्थी भंवरसिंह का नाम पूर्ववत कायम रखा जाये साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो प्रमाण इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं वे प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी को दिया जाता है तथा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14–6–96 प्रशासकीय किस्म का आदेश था जिसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती थी, परन्तु अपर आयुक्त ने

अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि व्यवहार न्यायालय से आवेदक के पक्ष में आदेश हो चुका है जिला न्यायालय से भी आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है जो अन्तिम है। व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः अपर आयुक्त के अनावेदक भंवरसिंह का नाम पूर्ववत कायम रखने संबंधी आदेश निरस्त कर व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में कार्यवाही हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोषों पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है अतः आवेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है तथा वहां प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण होना शेष है अतः निगरानी निरस्ती की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भले ही प्रशासकीय किस्म का है, परन्तु प्रशासकीय आदेश से किसी के मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं हो सकता। यदि इस प्रकार का प्रशासकीय आदेश से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रभाव होता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील हो सकती है। प्रशासकीय आदेश के तहत यदि जांच पश्चात किसी कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है तो कोई प्रशासकीय आदेश माना जाता परन्तु अनुविभागीय अधिकारी की म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 32 का प्रयोग करते हुये धारा 113 के तहत नाम अंकित करने के आदेश दिये है जो संहिता के प्रावधान लागू होने से अपील योग्य है। अनावेदक अभिभाषक ने व्यवहार न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से इन्कार नहीं किया परन्तु यह बताया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने मान0 उच्च न्यायालय में अपील की है, अतः जिला न्यायालय का निर्णय अन्तिम नहीं है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये धारा 113 के अन्तर्गत अनावेदक कमांक 3 का नाम पूर्ववत अंकित करने का आदेश किया है। जब विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों का प्रयोग कर पारित किया गया हो तो उस आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी प्रचलन योग्य होगी। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। जैसा कि आवेदक अभिभाषक द्वारा बतया गया कि व्यवहार न्यायालय में आवेदक के पक्ष निर्णय हुआ है। जिला न्यायालय से भी आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है जो अन्तिम है। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि जिला न्यायालय के फैसले के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में अपील की है अतः जिला न्यायालय का निर्णय अन्तिम नहीं है, परन्तुत मान0 उच्च न्यायालय के प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदि जारी किया है, इसकी जानकारी होने से इंकार किया है। अतः वर्तमान स्थिति में व्यवहार न्यायालय का निर्णय अन्तिम माना जा सकता है। उक्त स्थिति में अब इस निगरानी प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोषों पर किए गए निर्णय पर विचार करने का औचित्य नहीं है एवं अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का भी औचित्य नहीं है। उभय पक्षों के बीच व्यवहार न्यायालय में दिए गए आदेश के अनुकम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किया जाना उचित है। आवेदक चाहे तो अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर सकता है। अनावेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में वाद प्रचलित होने का तर्क किया है यदि अनावेदक के पास भी मान0 उच्च न्यायालय के आदेश यदि कोई हो तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने लिए स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर व्यवहार न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की जानकारी के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का विचाराधीन आदेश दिनांक 9–4–1999 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पक्षकार विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की जानकारी विचारण न्यायालय को प्रस्तुत करे तो पुनः विचारण न्ययालय उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर व्यवहार न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर